

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
 (भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)
 ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
 website - eklavya.cg.nic.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/370/2025-26/ **5856**

रायपुर दिनांक **1/8/2025**

--: स्वीकृति आदेश :-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न मदों में नीचे वर्णित तालिका में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 10 में उल्लेखित कुल राशि रुपये 53,12,90,000/- (शब्दों में रुपये तिरपन करोड़ बारह लाख नब्बे हजार मात्र) PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को निम्नानुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	कर्मचारी वेतन मत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन पर व्यय	विद्यालय संचालन एवं शैक्षणिक/सहशैक्षणिक गति पर व्यय	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	420	394	108.00	39.40	15.70	163.10
2		बस्तर	EMRS बेसोली	420	418	9.00	41.80	16.70	67.50
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	420	388	11.00	38.80	15.50	65.30
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियाँ	360	299	6.00	29.90	11.90	47.80
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	360	360	13.00	36.00	14.40	63.40
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	360	298	10.00	29.80	11.90	51.70
7	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	420	403	98.00	40.30	16.10	154.40
8		कांकेर	EMRS अंजनी	420	400	2.00	40.00	16.00	58.00
9		नरहरपुर	EMRS सुरही	360	350	6.00	35.00	14.00	55.00
10		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	360	360	7.00	36.00	14.40	57.40
11		दुर्गाकौदल	EMRS भंडारडिगी	360	327	7.00	32.70	13.00	52.70
12	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	420	382	126.00	38.20	15.20	179.40
13		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	420	368	13.00	36.80	14.70	64.50
14		गीदम	EMRS हड़म	360	306	11.00	30.60	12.20	53.80
15		कुआकोण्डा	EMRS कुआकोण्डा	360	347	9.00	34.70	13.80	57.50
16	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	420	404	12.00	40.40	16.10	68.50
17		बीजापुर	EMRS बीजापुर	420	407	8.00	40.70	16.20	64.90
18		उसूर	EMRS दुर्गगुड़ा	360	349	8.00	34.90	13.90	56.80
19		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	360	320	8.00	32.00	12.80	52.80
20	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	420	367	42.00	36.70	14.60	93.30
21		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	420	367	8.00	36.70	14.60	59.30
22	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	420	358	15.00	35.80	14.30	65.10
23		कौटा	EMRS एराबोर	420	361	10.00	36.10	14.40	60.50
24		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	360	368	9.00	36.80	14.70	60.50
25	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	420	366	9.00	36.60	14.60	60.20
26		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	360	347	9.00	34.70	13.80	57.50
27		केशकाल	EMRS बेडमा	360	354	11.00	35.40	14.10	60.50
28		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	360	343	8.00	34.30	13.70	56.00
29		माकड़ी	EMRS माकड़ी	360	287	10.00	28.70	11.40	50.10
30	कोरिया	सोनहत	EMRS घुघरा	420	373	11.00	37.30	14.90	63.20
31	एम.सी.बी.	खड़गवा	EMRS पोड़ीडीह	420	367	21.00	36.70	14.60	72.30
32		भरतपुर	EMRS जमथान	360	329	11.00	32.90	13.10	57.00

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	कर्मचारी वेतन मत्ता	प्रत्यक्ष व्यय अंतर्गत मेस संचालन पर व्यय	विद्यालय संचालन एवं शैक्षणिक/सहशिक्ष. गति. पर व्यय	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	420	416	120.00	41.60	16.60	178.20
34		जशपुर	EMRS घोलेंग	420	405	6.00	40.50	16.20	62.70
35		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	360	359	6.00	35.90	14.30	56.20
36		पथलगांव	EMRS सुखरापारा	360	360	15.00	36.00	14.40	65.40
37		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	180	180	10.00	18.00	7.20	35.20
38		मनोरा	EMRS मनोरा	120	120	6.00	12.00	4.80	22.80
39	सरगुजा	मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	420	378	115.00	37.80	15.10	167.90
40		उदयपुर	EMRS रीखी	420	302	12.00	30.20	12.00	54.20
41		बतौली	EMRS शिवपुर	360	344	14.00	34.40	13.70	62.10
42		सीतापुर	EMRS पेतला	360	314	11.00	31.40	12.50	54.90
43		लुण्ड्रा	EMRS लुण्ड्रा	240	228	12.00	22.80	9.10	43.90
44		भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	420	368	130.00	36.80	14.70	181.50
45	सूरजपुर	प्रतापपुर	EMRS खोरमा	420	370	9.00	37.00	14.80	60.80
46		ओड़गी	EMRS ओड़गी	420	383	7.00	38.30	15.30	60.60
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	360	340	6.00	34.00	13.60	53.60
48		बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	420	396	14.00	39.60	15.80	69.40
49	बलरामपुर	कुसमी	EMRS रामनगर	420	346	10.00	34.60	13.80	58.40
50		वाङ्गनगर	EMRS बरतीकला	420	409	10.00	40.90	16.30	67.20
51		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	360	343	10.00	34.30	13.70	58.00
52		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	360	340	10.00	34.00	13.60	57.60
53		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	360	333	10.00	33.30	13.30	56.60
54	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	420	380	115.00	38.00	15.20	168.20
55	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	420	392	13.00	39.20	15.60	67.80
56	मोहला—मानपुर	मानपुर	EMRS खासफड़की	420	350	8.00	35.00	14.00	57.00
57	मोहला—चौकी	मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	360	320	8.00	32.00	12.80	52.80
58	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	420	401	11.00	40.10	16.00	67.10
59	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	420	413	13.00	41.30	16.50	70.80
60		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	360	313	7.00	31.30	12.50	50.80
61	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	420	376	11.00	37.60	15.00	63.60
62	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	420	414	17.00	41.40	16.50	74.90
63	धमतरी	नगरी	EMRS पथर्रीडीह	420	414	15.00	41.40	16.50	72.90
64	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	420	388	11.00	38.80	15.50	65.30
65		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	420	375	10.00	37.50	15.00	62.50
66		गौरेला	EMRS नेवसा	360	348	8.00	34.80	13.90	56.70
67	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	420	334	106.00	33.40	13.30	152.70
68		धरमजयगढ़	EMRS बयासी	420	394	1.00	39.40	15.70	56.10
69		घरघोड़ा	EMRS छर्वांगर	360	299	1.00	29.90	11.90	42.80
70		लैलूगा	EMRS लैलूगा	240	236	1.00	23.60	9.40	34.00
71	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	420	372	13.00	37.20	14.80	65.00
72		पाली	EMRS लाफा	420	338	8.00	33.80	13.50	55.30
73		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	360	330	11.00	33.00	13.20	57.20
74	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाडीखुर्द	420	398	17.00	39.80	15.90	72.70
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	420	354	20.00	35.40	14.10	69.50
योग				28860	26440	1614.00	2644.00	1054.90	5312.90

(शब्दों में रुपये तिरपन करोड़ बारह लाख नब्बे हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22, दिनांक 01.05.2025 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप एवं सक्षम अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा के भीतर ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित अद्यतन प्रावधानों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय-समय पर सामग्री कय हेतु निर्धारित भंडार कय नियमों एवं अद्यतन वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GEM पोर्टल) के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं का कय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/EMRS/G-35/2023-24/9483, दिनांक 28.11.2023 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार मेस व्यय के लिये निर्धारित दर पर व्यय किया जाये ताकि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा प्रत्यक्ष व्यय हेतु निर्धारित राशि में से मेस के अतिरिक्त प्रत्यक्ष व्यय के अन्य मद हेतु आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जा सके। कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.11.2023 के पृ.क.09 पर दर्शित परिशिष्ट "अ" "मेस व्यय की जानकारी" एवं परिशिष्ट "ब" "मेस डाईट व्यय की जानकारी" निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रतिमाह इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. "विद्यालय संचालन पर व्यय" मदांतर्गत आवंटित राशि में से एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावास के विद्युत देयकों का प्रतिमाह प्राथमिकता के आधार भुगतान किया जावे ताकि अधिभार की स्थिति निर्मित न हो।
6. सामग्री कय एवं सेवाओं के प्रकरणों में फर्मों से प्राप्त देयकों में नियमानुसार IT-TDS एवं GST-TDS की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे तथा समय-सीमा के भीतर कटौती राशि का चालान के माध्यम से भुगतान कर निर्धारित अवधि में रिटर्न फाईल कराना सुनिश्चित करें, विलंब की स्थिति में पेनाल्टी/ब्याज अधिरोपित होने पर संस्था प्रमुख/प्राचार्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
7. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे तथा जिस खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक मदवार निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
9. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा अनुमोदित)


 (लाजरूस मिंज)
 वित्त नियंत्रक

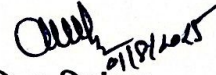
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/EMRS/370/2025-26/5857

नवा रायपुर दिनांक 1/8/2025

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
4. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयजिला(छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



वित्त नियंत्रक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़